न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 68 / 2024

शान्ति पत्नि स्व0 पूरन सिंह जाति लोधा निवासी तगावली तहसील व जिला धौलपुर
----- वादीया

बनाम

1. कंचन सिंह पुत्र स्व. पन्ना 2. किशन सिंह पुत्र स्व.पन्ना 3. महाराज सिंह पुत्र स्व. पन्ना समस्त जातिगण लोधा निवासी तगावली तहसील व जिला धौलपुर
4. मीना पुत्री स्व0 पूरन सिंह पतिन श्री मुरारीलाल जाति लोधा निवासी बुरहेरा तहसील खेरागढ व जिला आगरा उ0प्र0
5. भारतीय स्टेट बैंक कप्तान बाबू की कोठी धौलपुर तामील जरिये शाखा प्रबन्धक
6. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार धौलपुर

----- प्रतिवादीगण

दावा वावत दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थितिः– श्री रंजीत सिंह लोधा एडवोकेट वादीया की ओर से

दिनांक – 17/02/2025

निर्णय

वादीया की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 826 / 403 बाके ग्राम तगावली पटवार हल्का तगावली तहसील व जिला धौलपुर में स्थित है। वादीया वहिस्सा 1 / 2 भागी की खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है। शेष हिस्से की प्रतिवादी संख्या 4 सामूहिक रूप से काबिज काश्त है। विवादित आराजी ख.नं. 1028, 1099, 1029 बाके ग्राम सांडा तहसील व जिला धौलपुर में स्थित है। जिसमें वादिया 1 / 8 भाग की खातेदार काश्तकार है व काबिज है। शेष आराजी के प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 4 खातेदार काश्तकार है। वादीया विधवा महिला है। कुछ माह पूर्व वादीया किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए ई–मित्र के पास गई तो बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में शान्ति पत्नी पूरन सिंह के बजाय सन्तो पत्नि पूरन सिंह अंकित है। और कागजात आधार कार्ड व वोटर कार्ड, राशन कार्ड बैंक पास बुक, जन आधार में शान्ति पत्नि पूरन सिंह है। अतः विवादित आराजी में वादीया का सही नाम शान्ति पत्नि पूरन सिंह अंकित किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 की ओर से श्री योगेश त्यागी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर इकबाल दावा पेश किया।

वादपत्र के साथ जमाबंदी संवत् 2076 ग्राम तगावली खाता संख्या 314 एंव 54, नामा0 संख्या 730 ग्राम तगावली, नामा0 संख्या 1309 ग्राम सांडा, आधार कार्ड संख्या 6822 7558,

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

4090, पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग, राशनकार्ड 00116 एंव जनआधार कार्ड 4768016769 की प्रति पेश की।

वकील वादीया की बहस सुनी गई। वकील वादीया ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए दावा वादिया डिक्री किया जाकर विवादित आराजी में बादीया का नाम सन्तो पत्नि पूरनसिंह को कलमजद कर सही नाम शान्ति पत्नि पूरन सिंह अंकित किया जाने का कथन किया।

वकील वादीया को सुनने उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2076 में वादीया का नाम सन्तो पत्नि पूरनसिंह दर्ज रिकॉर्ड है जबकि पहचान संबधी दस्तावेजों में शान्ति पूत्नि पूरन सिंह दर्ज है। प्रतिवादीगण ने इकबाल दावा पेश कर वादीया के कथनों को स्वीकार किया है तथा वादीया द्वारा वादपत्र में अंकित कथनों के संबध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः वादीया की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र एंव प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत इकबाल दावा के आधार पर दावा वादिया डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादीया डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख.नं. नम्बर 826/403 बाके ग्राम तगावली तहसील व जिला धौलपुर तथा आराजी ख.नं. 1028, 1099, 1029 बाके ग्राम सांडा तहसील व जिला धौलपुर में दर्ज वादीया के नाम सन्तो पत्नि पूरन सिंह के स्थान पर शान्ति पत्नि पूरन सिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिए जाते है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17/02/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर
उपखण्ड अधिकारी धौलपुर (राज0)